आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 19 / सन–2025– 26

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

–:आदेशः –

28.05.2025

यह विविध वाद अभिलेख सं0–19 / 2025– 26 आवेदक सुरेश सिंह, पिता– पेमन सिंह, साकिन– डोरण्डा, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक मे अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 09, श्री नरेश कुमार के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 09, श्री नरेश कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा– डोरण्डा, थाना नं0– 15, खाता सं0– 106, प्लॉट नं0– 1237, रकवा– 01.00 एकड़ भूमि केवाला सं0– 1322, दिनांक– 17.02.1951 से आवेदक के पूर्वजों को हासिल है। सरकारी लगान रसीद सं0– 186061 वर्ष 1983 – 84 रकवा– 1.00 एकड़ दोदी सिंह वगै0 के नाम से संलग्न है।

आगे प्रतिवेदित किया है कि आवेदकगण द्वारा शपथ पत्र सं0– 68, दिनांक– 02.05.2025 द्वारा दावा किया गया है कि खाता सं0– 106, प्लॉट नं0– 1237, रकवा– 01.00 एकड़ में से 0.81 एकड़ भूमि बिकी की जा चुकी है एवं वर्तमान में शेष जमीन मात्र 0.19 एकड़ पर आवेदकगणों (जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों) का दखल कब्जा है।

पुनः प्रतिवेदित किया है कि हल्का में उपलब्ध पंजी– II क्षतिग्रस्त है।

अन्त में प्रतिवेदित करते हैं कि आवेदक के आवेदन एवं शपथ पत्र के आलोक में खाता सं0– 106, प्लॉट नं0– 1237, रकवा– 0.19 एकड़ की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु अंचल अमीन से मापी कर दखल – कब्जा स्पष्ट होने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 09, श्री नरेश कुमार / अंचल अमीन / अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी–सह–दखल कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार 0.19 एकड़ भूमि पर जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों का दखल है।

वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी– II में जमाबंदी कायम करने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 09, श्री नरेश कुमार / अंचल अमीन / अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं मापी–सह– दखल–कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद एवं शपथ पत्र सं0 167, दिनांक– 24.05.2025 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– डोरण्डा / 15 के ऑनलाईन पजी– II में खाता सं0– 106, प्लॉट नं0– 1237, रकवा– 0.19 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28.05.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

28.05.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.05.28 20:00:17 +05:30
Location: 192.168.137.1